हाई कोर्ट से 28 आबकारी अधिकारियों की जमानत खारिज

3200 करोड़ का

शराब घोटाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ रुपये के बहुचर्चित शराब घोटाले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 28 आबकारी अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अब ईओडब्ल्यू और एसीबी उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में जुट गई हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इतने बड़े घोटाले में आरोपितों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। अदालत ने गिरफ्तारी में देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि आरोपितों को जल्द गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए।

अधिकारियों ने अपनी याचिका में कहा था कि वे निर्दोष हैं, जांच में सहयोग कर रहे हैं और कई लोग स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं।

कैसे हुआ घोटाला: जांच में पर्दाफाश हुआ कि 2019 से 2023 के बीच बड़ी मात्रा में बिना ड्यूटी चुकाए शराब की बिक्री की गई। इससे शासन को अरबों का राजस्व नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड अनवर ढेबर है, जिसे अकेले 90 करोड़ रुपये का कमीशन मिला।

पहले से जेल में वंद हैं कई आरोपित

इस घोटाले में पहले ही कई बड़े नेता और अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे हैं। इनमें पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल, सेवानिवृत्त आइएएस अनिल टुटेजा और होटल कारोबारी अनवर ढेबर जैसे दिग्गज शामिल हैं। अब तक इस केस में करीब 70 लोगों को आरोपित बनाया गया है, जिनमें चार डिस्टलरी संचालक भी हैं।

ये हैं आरोपित

ईओडब्ल्यू ने जिन अधिकारियों को आरोपित बनाया है, उनमें प्रमोद नेताम, नीतू नोतानी, एल.एस. ध्रुव, इकबाल अहमद खान, जनार्दन सिंह कौरव, अरविंद पाटले, दिनकर वासनिक, नोहर ठाकुर, नवीन तोमर, विकास गोस्वामी, रामकृष्ण मिश्रा, मंजूश्री कसेर, विजय सेन, मोहित जायसवाल, गंभीर सिंह नुरूटी, नीतिन खंडुजा, अश्वनी अनंत, अनंत सिंह, सोनल नेताम, गरीब पाल सिंह, सौरभ बक्शी, जेठूराम मंडावी, देवलाल वैद्य, प्रकाश पाल, आशीष कोसम, राजेश जायसवाल सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं।